रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939
No. 261] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

IndiaCode

egkRek xk/kh dsUnzh; fo'kofo|ky;

¼laln dk vf/kfu;e vUrxZr LFkkfir ,d dsUnzh; fo'kofo|ky;½

vf/klwpuk

मोतिहारी, 28 जून 2017

l- 11&1@,ethlh;ch@th,@2016@**1561.**—यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने अध्यादेश संख्या 25, 27, 28, 30, 31 और 32 का निर्माण किया है।

विश्वविद्यालय परिनियम की संविधि 37 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जो अध्यादेश नीचे प्रस्तुत हैं, वे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तुरंत बाद प्रभावी होंगे।

vè;kns'k l[;k&**25**

vfèk"Bkrkvksa dh lfefr

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28(1)(J)**]**

çLrkouk

1. विश्वविद्यालय सभी संकायों के अधिष्ठाताओं की एक समिति गठित करेगा जिसे संकाय अधिष्ठाताओं की समिति के नाम से जाना जाएगा।

l?kVu

2. संकाय अधिष्ठाताओं की समिति में निम्नलिखित सदस्य मुख्यतः शामिल होंगे :

i. कुलपति – अध्यक्ष (पदेन सदस्य)
ii. अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले) (पदेन सदस्य)
iii. समस्त संकायों के अधिष्ठाता – सदस्य (पदेन सदस्य)
iv. कुलसचिव – सचिव सदस्य

è;kr0; % माननीय कुलपति की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले) बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

çdk;

3. अधिष्ठाताओं की समिति के निम्नलिखित प्रकार्य होंगे :

i. विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों/अध्ययन केंद्रों के संचालन विषयक सामान्य शैक्षणिक मसलों पर विचार–विमर्श;
ii. परीक्षा के संचालन और परीक्षा परिणामों के मानकीकरण आदि को लेकर उठने वाले आवश्यक मसलों पर विचार–विमर्श;
iii. आवश्यकतानुसार संकायों/विभागों/अध्ययन केंद्रों के संचालन से जुड़े सामान्य प्रशासनिक मसलों पर विचार–विमर्श;
iv. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि के लिए संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की संस्तुति;
v. अध्येतावृत्ति प्रदान के लिए अभ्यार्थियों का चयन;
vi. कुलपति द्वारा सुपुर्द या कार्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किये गये मसलों पर विचार–विमर्श।

cBd

4. अधिष्ठाताओं की समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलायी जाएंगी।

x.kifr

5. समिति की गणपूर्ति (कोरम) समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

dk;Z 0;kikj dk fu;e

6. समिति की बैठकों के संचालन विषयक नियम इस संदर्भ में बनाये गये विनियमों से निर्धारित होंगे।

v/;kns'k lwph&27

ØhMk lfefr

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1) (0) के तहत]

1. विश्वविद्यालय की एक क्रीड़ा समिति होगी जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, जो इसके अध्यक्ष भी होंगे;
ii. कुलपति द्वारा नामित दो ख्यातिलब्ध खिलाड़ी;
iii. विभिन्न खेल क्लबों के अध्यक्ष, यदि कोई उपलब्ध हों तो;
iv. नामांकित विद्यार्थियों में से समिति के अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के लिए नामित एक–एक उत्कृष्ट पुरूष और महिला खिलाड़ी;
v. शारीरिक शिक्षा का निदेशक या कुलपति द्वारा नामित कोई भी एक व्यक्ति जो खेल समिति का पदेन सदस्य होगा।

2. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :

i. विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कदम उठाना ;
ii. विश्वविद्यालय के खेलों की व्यवस्था और निगरानी करना तथा इस संबंध में नियमों का निर्माण करना;
iii. खेलकूद विषयक आवश्यकताओं के लिए बजट प्रस्तावित करना ;
iv. विभिन्न क्लबों के लिए वित्तीय आवंटन करना;
v. विश्वविद्यालय के खेल–मैदान, व्यायामशाला, तरणताल और खेलकूद विषयक अन्य सुविधाओं की देखरेख करना ;
vi. खेलकूद के मुकाबलों, प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों और एथलेटिक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन/व्यवस्था करना;
vii. इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जब विश्वविद्यालय से अंतर विश्वविद्यालयी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने को कहा जाए तो समिति को ऐसे आयोजन करने होंगे। अगर आवश्यकता हो तो दूसरे खेलकूद टूर्नामेंट भी आयोजित करने होंगे;
viii. विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अन्य विभिन्न सह–समितियों की नियुक्ति करना;
ix. समिति द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तरीय खेल और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए विश्वविद्यालय की टीम का चयन करना;
x. खेल कोटे के तहत प्रवेश हेतु सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी/खिलाड़ियों को नामित किये जाने के लिए कुलपति के समक्ष अनुशंसा करना;

IndiaCode

xi. कुलपति से प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाओं/वजीफा आदि के लिए किसी अत्यन्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा करना; और

xii. समय–समय पर कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद्/और कुलपति द्वारा सौंपे गए इसी प्रकार के दूसरे कार्य निष्पादित करना।

3. छात्र कल्याण अधिष्ठाता के निर्देशन में शारीरिक शिक्षा के निर्देशक बजट को संचालित करेंगे।

4. अध्यक्ष के निर्देशन में समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करेगी।

5. समिति के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक हेतु अपेक्षित गणपूर्ति को पूरा करेंगे।

6. समिति प्रत्येक वर्ष के 30 जून से पहले कार्य परिषद को निम्नलिखित चीजें सौंपेगी–

i. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न गतिविधियों की एक विस्तृत रिपोर्ट;

ii. पिछले वित्तीय वर्ष से संबद्ध आय और व्यय का निर्धारित प्रारूप में ब्यौरा;

iii. 31 मार्च तक बकाया अग्रिमों का ब्यौरा और विस्तृत टिप्पणियां कि ये अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व क्यों नहीं समायोजित किये गए।

7. 30 नवम्बर से पहले प्रत्येक वर्ष समिति, कार्य परिषद् को आगामी वित्तीय वर्ष का वित्तीय आंकलन प्रस्तुत करेगी। यह आंकलन अपेक्षित व्याख्यात्मक आंकलन के साथ रहेगा।

8. खेलकूद संगठन के कामकाज से संबद्ध कोई भी शिकायत क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष के संज्ञान में लाई जानी चाहिए। क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी या विद्यार्थी कुलपति के समक्ष अपील कर सकते हैं।

vè;kn'k l[;k & 28

ijh{kkvksa@mikfèk;ksa dh ekU;rk dh fy, lerY;rk ij LFkkbZ lfefr

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1) (O)]

1. समतुल्यता के सभी प्रस्तावों तथा आवेदनों का परीक्षण संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के द्वारा अध्ययन–पाठ्यक्रम के सन्दर्भों तथा पाठ्यक्रमों के मानकों के अनुसार किया जायेगा। परीक्षा/उपाधि की समतुल्यता संबंधी अधिष्ठाता की रिपोर्ट स्थाई समिति के समक्ष रखी जायेगी।

ijh{kkvksa@mikfèk;ksa dh lerY;rk ij LFkkbZ lfefr dk la?kVu

2. परीक्षा/उपाधि की समतुल्यता विषयक स्थाई समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

i. कुलपति या कुलपति द्वारा नामित कोई एक अधिष्ठाता इस समिति का अध्यक्ष होगा ;

ii. सभी संकायों के अधिष्ठाता ;

iii. शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों में से ही उनके द्वारा तीन वर्षों के लिए नामित कोई एक व्यक्ति ;

iv. कुलसचिव; और

v. परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव।

3. lfefr dk dk;Z gksxk %

क. अन्य विश्वविद्यालयों/परिषदों/संस्थानों के नवीन पाठ्यक्रमों/परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ;

ख. अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राप्त परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए प्राप्त निवेदनों पर विचार करना और इसकी अनुशंसा को शैक्षणिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना ;

ग. शैक्षणिक परिषद् को संदर्भित किये गये सभी मामलों को शैक्षणिक परिषद् को सूचित करना ; और

घ. विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले उपाधि/डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए अभ्यार्थित किये चलायमान आवेदनों के मामले तैयार करना जो देश के भीतर अथवा बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार के माध्यम से दिए जाने वाले उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के समकक्ष हों।

4. x.kifr ¼dkje½ % समस्त सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक के लिए कोरम पूरा करेंगे।

5. समिति कार्य संचालन के नियम बनायेगी तथा शैक्षणिक परिषद् की स्वीकृति तथा अनुमोदन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगी। शैक्षणिक परिषद् अपनी ओर से अपनी कोई शक्ति इस समकक्ष–समिति में निहित कर सकती है।

vè;kn'k l[;k&30

;kstuk ,oa vuoh{k.k ckMZ dh 'kfä;k vkj çdk;

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 26(q) सहित धारा 26(k) के अंतर्गत]

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और उसके अंतर्गत निर्मित परिनियम, अध्यादेश, नियम और विनियम के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एक योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना और समापन सहित विश्वविद्यालय की समग्र शैक्षणिक योजना एवं विकास पर शैक्षणिक परिषद एवं कार्य परिषद को सलाह प्रदान करना।

2. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड (संक्षेप में, बोर्ड) में निम्नलिखित सदस्य होंगे;

 i. कुलपति.....अध्यक्ष

 ii. कुलपति द्वारा नामित दो संकायों के संकायाध्यक्ष (पदेन सदस्य);

 iii. कार्य परिषद द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो उच्च शिक्षा की योजना और विकास के विशेषज्ञ या इसमें विशेष अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हों;

 iv. कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो उच्च शिक्षा की योजना और विकास के विशेषज्ञ या इसमें विशेष अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हों;

 v. विश्वविद्यालय के कुलपति;

 vi. विश्वविद्यालय के वित्त – अधिकारी;

 vii. कुलपति द्वारा योजना एवं विकास अधिकारी या विशेष कार्य–अधिकारी (योजना एवं विकास) के रूप में पदनामित व्यक्ति सदस्य–सचिव होगा।

3. कार्यकाल : पदेन सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

4. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु उप–समितियों की नियुक्ति कर सकता है जिसमें योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

5. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की शक्तियाँ एवं प्रकार्य होंगे :

 i. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना और समापन सहित विश्वविद्यालय की समग्र शैक्षणिक योजना एवं विकास पर शैक्षणिक परिषद एवं कार्य परिषद को सलाह एवं संस्तुति प्रदान करना।

 ii. विश्वविद्यालय की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना को तैयार करना और उनकी निगरानी करना तथा विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजनाओं को लागू करने के दौरान उसमें सुधार संबंधी सुझाव प्रदान करना।

 iii. विश्वविद्यालय की योजनाओं की योजना और निगरानी के लिए आवश्यक समितियों का गठन और सलाह देना।

 iv. अध्ययनशालाओं और अन्य शैक्षणिक पदों के सृजन का प्रस्ताव बनाना और उन पदों के दायित्व का निर्धारण करना।

 v. विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों के स्थापना के संबंध में सुझाव एवं सलाह देना।

 vi. भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के संबंध में सुझाव एवं सलाह देना।

 vii. विश्वविद्यालय के विभागों और संकायों की कार्यप्रणाली का समय–समय पर मूल्यांकन, निगरानी और सलाह देना।

 viii. कुलपति/शैक्षणिक परिषद्/कार्य–परिषद् द्वारा निर्धारित प्रकार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना।

 ix. अंतर–अनुशासनिक कार्यक्रमों को मजबूत करने, विश्वविद्यालय के विभागों/संकायों/केंद्रों के बीच सहयोग स्थापित करने और विश्वविद्यालय, उद्योग जगत और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच पारस्परिक समन्वय की योजनाओं के निर्देश के साथ–साथ शिक्षा और शोध के स्तर को बढ़ाने संबंधी उपायों का सुझाव देना।

6. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की संस्तुतियों को शैक्षणिक परिषद् और कार्य–परिषद के समक्ष विचारार्थ और आगे आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाएगा।

IndiaCode

;kstuk ,oa vuoh{k.k cksM dh cBdsa %

7. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की सालभर में कम–से–कम दो बैठकें आयोजित होंगी जिसमें से एक बैठक नवीन शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विश्वविद्यालय की विवरणिका के प्रकाशन के पूर्व होनी चाहिए।

8. कुलपति अपनी पहल पर या बोर्ड के कम–से–कम एक–तिहाई सदस्यों के लिखित निवेदन पर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित कर सकते/सकती हैं।

9. कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक–तिहाई होगा जिसमें कम–से–कम दो सदस्य विश्वविद्यालय के बाहर के होने चाहिए।

lpuk %

10. बोर्ड की किसी भी बैठक की सूचना बैठक के लिए नियत दिन के कम–से–कम दस दिन पहले बोर्ड के सदस्य–सचिव द्वारा जारी कर दी जाएगी।

11. कुलपति अल्पकालिक सूचना, जो तीन दिन से कम न हो, पर भी बोर्ड की आपातकालीन बैठक आयोजित कर सकता है।

12. आचार संहिता : बैठक के आचरण के नियम इस संबंध में निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

vè;kn'k lwph&31

Ldwy cksMZ dk xBu] 'kfä;k ,oa çdk;Z

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (संशोधित 2014) की धारा 28(1)(0) सहित परिनियम 15¼3)–(4)]

1. स्कूल बोर्ड के सदस्य : प्रत्येक संकाय का अपना एक स्कूल बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

 क. अधिष्ठाता स्कूल बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

 ख. संकाय के अंतर्गत आने वाले विभागों के अध्यक्ष;

 ग. संकाय के अंतर्गत आने वाले केंद्रों के निदेशक;

 घ. संकाय के सभी प्रोफ़ेसर;

 ङ. संकाय के प्रत्येक विभाग/ केंद्र से रोटेशन से वरिष्ठता–क्रम के अनुसार नियुक्त एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर;

 च. संकाय के प्रत्येक विभाग/ केंद्र से रोटेशन से वरिष्ठता–क्रम के अनुसार नियुक्त एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर;

 छ. शैक्षणिक परिषद् द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और उन विभागों/केंद्रों से संबंधित हों जो उस स्कूल में शामिल हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा कि किसी एक विषय से एक से अधिक विशेषज्ञ शामिल नहीं होना चाहिए।

 ज. संबंधित या संयोजित स्कूल/विषय के शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक।

2. dk;dky % पदेन सदस्य के अतिरिक्त स्कूल बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और वे पुनर्नामांकन के योग्य होंगे।

3. शक्तियाँ एवं प्रकार्य : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् के समग्र निर्देशन के साथ–साथ स्कूल बोर्ड के निम्नलिखित प्रकार्य होंगे:

 क. स्कूल के विभागों/केंद्रों के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और प्रक्रिया निर्धारित करना;

 ख. स्कूल के विभागों/केंद्रों के अध्यापन, मूल्यांकन और शोध–कार्य का संयोजन करना;

 ग. विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों, विभिन्न शोध उपाधियों के विषय और कोर्स वर्क का अनुमोदन करना;

 घ. बोर्ड ऑफ़ स्टडीज द्वारा संस्तुत शोध की विभिन्न उपाधियों के विषय एवं शोध–उपाधियों की अन्य जरुरतों पर विचार और अनुमोदन;

 ङ. स्कूल के किसी विभाग/केंद्र के दायरे में न आने वाले विषय या क्षेत्र में अध्यापन या शोध–कार्य का आयोजन करने के लिए समितियों का गठन और इन समितियों के कार्य का निर्देशन ;

 च. शैक्षणिक पदों के सृजन एवं उन्मूलन के लिए शैक्षणिक परिषद को संस्तुति प्रदान करना और विभागों/केंद्रों या उपर्युक्त क्लॉज (ई) के तहत निर्मित समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

 छ. अध्यापन एवं शोध के स्तर को उन्नत बनाने वाली योजनाओं पर विचार करना एवं इस संबंध में शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

IndiaCode

ज. संकाय के आंतरिक शोध–कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रोत्साहन देना और शोध–कार्यों से संबंधित रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद में प्रस्तुत करना;

झ. परामर्श गतिविधियाँ एवं ट्यूटोरियल्स (CAT), असाइन्मेंट, प्रश्नोत्तर, सत्रीय कार्य, मध्यावधि एवं सत्रांत परीक्षा के साथ–साथ व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (CCIA) के लिए सामान्य नियम एवं दिशा निर्देश तैयार करना;

ञ. शोध उपाधियों के लिए उत्तीर्ण एवं ऐसी उपाधियों को प्राप्त करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने की संस्तुति शैक्षणिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना;

ट. संकाय के विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार करना एवं उचित कदम उठाना;

ठ. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य सभी प्रकार्यों को पूरा करना एवं कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट सभी मामलों पर विचार करना;

ड. समय–समय पर बोर्ड जैसा भी निर्धारित करता है, उसके तहत सामान्य या विशिष्ट शक्तियां अधिष्ठाता, बोर्ड के किसी सदस्य या किसी समिति को सौंपना।

4. Ldy ckM dh cBd %

क. बोर्ड एक शैक्षणिक वर्ष में कम–से–कम दो, प्रत्येक सत्र में एक सामान्य बैठकों का आयोजन करेगा;

ख. अधिष्ठाता अपनी पहल पर या कुलपति की सलाह पर या बोर्ड के कम–से–कम पांचवें भाग के सदस्यों के लिखित निवेदन पर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

5. x.kifr ¼dkje½ %

बोर्ड की बैठक का कोरम, बोर्ड के कुल सदस्यों का एक–तिहाई होगा।

6. cBd dh lpuk %

क. बोर्ड की किसी सामान्य बैठक की सूचना बैठक के लिए निर्धारित दिन के कम–से–कम दस दिन पहले जारी करनी होगी।

ख. अधिष्ठाता अल्पकालिक सूचना पर भी बोर्ड की आकस्मिक बैठक आयोजित कर सकता है लेकिन यह सूचना बैठक के कम–से–कम तीन दिन पहले देनी होगी।

7. vkpkj lfgrk % स्कूल बोर्ड के बैठक के आचरण के नियम इस संबंध में निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

vè;kns'k lwph&32

fo'kofo|ky; iqLrdky; lfefr

[dæh; fo ofo|ky; vfèkfu;e 2009 ¼lalks/ku 2014½ dh èkkjk 28¼1½¼O½]

1. विश्वविद्यालय की एक पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क. कुलपति,जो समिति का अध्यक्ष होगा;

ख. प्रतिकुलपति;

ग. कुलसचिव;

घ. वित्त अधिकारी;

ङ. छात्र कल्याण अधिष्ठाता सहित सभी संकायों के अधिष्ठाता या उनके नामित सदस्य ;

च. कुलपति द्वारा नियुक्त रोटेशन से वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रत्येक संकाय का वरिष्ठतम प्रोफेसर ;

छ. कुलपति द्वारा नामित पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा व्यक्ति, जो सदस्य सचिव होगा।

2. पदेन सदस्यों के अलावा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्य–काल एक कैलेंडर वर्ष होगा।

3. विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति करेगी :

क. विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालयों और अन्य सभी पुस्तकालयों का सामान्य पर्यवेक्षण;

ख. पुस्तकालयों के प्रबंधन एवं उपयोग के लिए विनियम बनाना जिनका शैक्षणिक परिषद् में अनुमोदन होगा;

ग. विभिन्न विभागों को धनराशि आवंटित करना, विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय तथा अन्य पुस्तकालयों की आवश्यकता का मूल्यांकन करना तथा बजट निर्धारित कर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना;

घ. शैक्षणिक परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों के वार्षिक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना;

IndiaCode

ङ. कार्य परिषद के समक्ष पुस्तकालय के लिए किसी नए पद के सृजन की अनुशंसा करना;

च. विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाना तथा उन्हें प्रशासित करना;

4. समिति की बैठक वर्ष में कम–से–कम दो बार होगी।

5. समस्त सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक के लिए कोरम पूरा करेंगे।

6. संयोजक,प्रत्येक सदस्य को बैठक से न्यूनतम सात दिन पूर्व तिथि, समय एवं स्थान उल्लेखित करते हुए बैठक की सूचना तथा कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि भेजेंगे। आकस्मिक बैठक के मामले में सूचना तथा कार्यवृत्त न्यूनतम चौबीस घंटे पूर्व भेजनी होगी।

7. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क. पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य संबंधित सामग्रियों के अर्जन को कार्यान्वित करना;

ख. इस प्रकार के अर्जन के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना और आवधिक स्टॉक सत्यापन करना;

ग. कर्मचारियों का कार्य–आवंटन, पुस्तकालयी अनुशासन, प्रयोक्ता–सेवा, अंतर्पुस्तकालयी सहयोग तथा नेटवर्किंग;

घ. अनुमानित आय तथा व्यय से संबंधित प्रस्ताव बनाना;

ङ. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का वार्षिक विवरण तैयार करना।

प्रो. आशुतोष प्रधान, विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/131/17]

IndiaCode

MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Motihari, the 28th June 2017

No. 11-1/MGCUB/GA/2016/1561.—It is notified that in exercise of the powers vested in Section 11(3) of Central Universities Act 2009, the Vice-Chancellor of Mahatma Gandhi Central University has made Ordinance No. 25, 27, 28, 30, 31 & 32 of the University.

In terms of the provisions of Statute 37 of the University, the aforesaid Ordinances reproduced as under, have come into effect immediately after the approval of the Competent Authority.

ORDINANCE NO. 25

THE DEANS' COMMITTEE

(Section 28 (1) (j) of the Central Universities Act)

Preamble

1. The University shall constitute a Committee of Deans of all the Schools of Study of the University, to be known as the Deans' Committee.

Composition

2. The Deans' Committee shall comprise the following members, namely:

(i) The Vice-Chancellor - Chairperson *(Ex-Officio)*

(ii) Dean Academic Affairs (Ex-Officio)

(iii) All Deans of Schools of Studies- Members *(Ex-Officio)*

(iv) Registrar – *Member Secretary*

Note: In the absence of Hon'ble Vice-Chancellor, Dean Academic Affairs shall chair the meeting

Functions

3. The functions of Deans' Committee shall be as follows:

(i) Consider general academic matter(s) related to the functioning of School(s)/ Department(s)/Centre(s) of Study of the University;

(ii) Consider such matter(s) as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of results, etc.;

(iii) Consider general administrative matters relating to functioning of School(s)/ Department(s)/ Centre(s) of Study, if required;

(iv) Recommend deputation of faculty member(s) for International Conferences/Seminar etc.;

(v) Selection of candidate(s) for award of fellowships; and

(vi) Consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred by the Vice-Chancellor.

Meeting(s)

4. The meetings of the Deans' Committee shall be convened by the Chairperson.

Quorum

5. The quorum of the Committee shall be 1/3rd of the total number of persons in the Committee.

Rules of Business

6. The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.

ORDINANCE NO. 27

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

(Under Section 28 (1) (o) of the Central Universities Act 2009)

1. There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members, namely:

i. The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson;

ii. Two prominent sportspersons to be nominated by the Vice-Chancellor;

iii. Presidents of various Games and Sports Clubs, if any;

iv. One Outstanding Sportsman and One Outstanding Sportswoman from among the students on rolls, nominated by the Chairperson for a period of one year; and

v. The Director of Physical Education or any one nominated by the Vice-Chancellor, who shall be the Ex-Officio Member-Secretary of the Games and Sports Committee.

2. The Committee shall:

i. take measures to attract the sports talent available in the University;

ii. make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;

iii. propose the budgetary requirements for games and sports;

iv. allocate finances to the various Clubs;

v. maintain the play-grounds, gymnasia, swimming pools and other sports facilities of the University;

vi. hold / organise contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;

vii. conduct Inter-University Tournaments whenever the University is called upon to do so by the Inter-University Sports Board of India, and other sports Tournaments if and when necessary;

viii. appoint various sub-committees for the conduct of University tournaments;

ix. select University teams based on the criteria fixed by the Committee, for the Inter-University and other tournaments;

x. recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players/sportspersons to be nominated for admission under sports quota, if any;

IndiaCode

xi. recommend to the Vice-Chancellor names of the Outstanding player/Sportspersons for training/ coaching facilities / stipend, if any; and

xii. perform such other functions, as may be assigned to it by the Executive Council/Academic Council/ Vice-Chancellor from time to time.

3. The Director of Physical Education will operate the budget under the supervision of the Dean of Students' Welfare.

4. The Committee shall hold its meetings at least once in two months under the supervision of the Chairperson.

5. One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.

6. Before 30th June every year, the Committee shall submit to the Executive Council:

i. a detailed report of its activities during the previous financial year;

ii. a statement of income and expenditure in the required form for the previous financial year;

iii. a statement of advances outstanding on 31st March and detailed remarks as to why these advances were not adjusted before the end of the year.

7. Before 30th November every year, the Committee shall submit to the Executive Council financial estimates for the ensuing financial year, these estimates shall be accompanied by necessary explanatory schedules.

8. Any grievance about the working of the organisation of games and sports should be brought to the notice of the Chairperson, Sports Committee. Employee(s) or Student(s) of the University dissatisfied with his/her decision may appeal to the Vice-Chancellor.

ORDINANCE NO. 28

STANDING COMMITTEE ON EQUIVALENCE FOR RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES

(Section 28(1)(o) of the Central Universities Act 2009)

1. All proposals and requests for equivalence shall be examined by the Dean of the School concerned with regards to the courses of study and the standard of the Courses. Report of the Dean shall be placed before the Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees.

Composition of the Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees:

1. The Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees shall consist of the following members:

i. Vice-Chancellor or One of the Deans to be nominated by the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;

ii. Deans of the Schools;

iii. One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years;

iv. Registrar; and

v. Controller of Examinations - *Member Secretary*

2. **The functions of the Committee shall be:**

a. to consider the proposal for the recognition of new courses/examinations/degrees of other Universities/Boards/Institutions;

b. to consider requests for recognition of Examinations/degrees received from other Universities/ Institutions/individual(s) and submit its recommendations to the Academic Council;

c. to report to the Academic Council on all matters, which are referred to it; and

d. to prepare a case of moving application for seeking recognition of Degrees/Diplomas and Certificates awarded by the University equivalent to the corresponding Degrees, Diplomas and Certificates of Universities and other Institutions within and outside the country.

3. **Quorum:** One-third of the members of the Committee shall constitute the quorum for a meeting of the Committee.

4. The Committee shall frame the Rules of Business and lay down guidelines for consideration and approval of the Academic Council. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.

ORDINANCE NO. 30

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PLANNING AND MONITORING BOARD

(Under sections 26(k), 19(6) read with section 26(q) of the Central Universities Act 2009)

1. Save as otherwise provided in the Central Universities Act 2009 and the Statutes, Ordinances, Rules & Regulations made there under, the University shall have a Planning & Monitoring Board which shall advice the Academic and Executive Council on overall academic planning and development of the University including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, established or to be established by the University.

2. The Planning and Monitoring Board (in short, the Board) shall consist of the following namely;

 i. The Vice-Chancellor …….. *Chairperson*

 ii. Two Deans of Schools to be nominated by the Vice-Chancellor *(Ex-Officio Member)*;

 iii. Three Experts, known for their expertise / special interests in planning and development of Higher Education, to be nominated by the Executive Council;

 iv. Three Experts, known for their expertise/special interests in planning and development of Higher Education, to be nominated by the Vice-Chancellor;

 v. The Registrar of the University

 vi. The Finance Officer of the University

 vii. The person designated by the Vice-Chancellor as the Planning & Development Officer or the Officer on Special Duty (Planning & Development) shall be the *Member Secretary*.

3. **Terms of office:** All the members of the board, other than *Ex-Officio* members shall hold the office for a term of three years.

4. The Planning and Monitoring Board may appoint sub-committees for specific purpose which may include persons other than the members of the Planning and Monitoring Board.

5. The powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be as under:

 i. to advice and recommend the Academic and Executive Council on overall academic planning and development of the University including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, established or to be established by the University.

 ii. to prepare and monitor the short term and long term plan of the University and further suggest measures for midcourse correction in the implementation of the approved plans of the University

 iii. to advise and constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring of the plans of the University.

 iv. to initiate proposals for institution of teaching & other academic posts and prescribing the duties of such posts.

 v. to suggest & advise new academic programmes to be established in the University

 vi. to suggest & advise on implementation of various schemes of Government of India/UGC as issued from time to time.

vii. to evaluate, monitor & advise from time to time on the working of the University Teaching Departments and School of Studies.

viii. to perform such other functions and duties as may be prescribed by the Vice-Chancellor/Academic Council/Executive Council.

ix. to suggest measures for raising the standard of education and research, including strengthening of inter-disciplinary programmes, cooperation between Departments/Schools/Centres of the University and schemes for interaction between the University, Industry and other educational institutions;

6. The recommendations of the Planning and Monitoring Board shall be placed before the Academic Council and Executive Council for consideration and further necessary action.

Meetings of the Planning & Monitoring Board:

7. The planning and Monitoring Board shall meet at least twice a year out of which one meeting should be held prior to the publication of University Prospectus for the following Academic Session.

8. The Vice-Chancellor may convene special meetings of the Board at his/her own initiative or on a written request from at least one-third of the members of the Board.

9. **Quorum:** The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members including at least two members from outside the University.

Notice:

10. Notice for any meeting of the Board shall be issued by the Member Secretary of the Board at least 10 days before the date fixed for the meeting.

11. The Vice-Chancellor may convene emergency meeting of the Board at short notice but not less than 3 days.

12. **Rules of Business:** Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.

IndiaCode

ORDINANCE NO. 31

CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE SCHOOL BOARD

[Statute 15(3) & (4) read with Section 28(1)(o) of the Central Universities Act 2009 (Amended 2014)]

1. **Composition of the School Board:** Each School shall have a School Board which shall comprising the following members:

a. Dean of the School who shall be the *Chairperson*;

b. Head(s) of the Department(s) in the School;

c. Director(s) of the Centre(s) in the School;

d. All Professors in the School;

e. One Associate Professor from each Department/Centre in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

f. One Assistant Professor from each Department/Centre in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

g. Three experts not in the service of the University having special knowledge of the subject or subjects concerned, around which the Departments/Centres in the School are organised, nominated by the Academic Council;

Provided that not more than one person per subject shall be nominated.

h. Two teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the Allied & Cognate Schools/Discipline.

2. **Terms of Office:** The term of the Office of the members other than the *Ex-Officio Members* shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.

3. **Powers and Functions:** The School Board shall, subject to the overall supervision of the Academic Council of the University, perform the following functions:

 a. To prescribe the qualifications for and procedures for admission of candidates to the various Programmes of Study in the Departments/Centres of the School;

 b. To co-ordinate the teaching, evaluation and research work in the Departments/Centres in the School;

 c. To approve the syllabus of various programmes of study, and topics and course work of various research degrees;

 d. To consider and approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees, as recommended by the Board of Studies;

 e. To constitute committees to organise the teaching and research work in subjects or areas which do not fall within the sphere of any Department/Centre in the School and to supervise the work of such committees;

 f. To recommend to the Academic Council the creation or abolition of teaching posts, and to consider proposals received from the Departments /Centres or committees mentioned in clause (e) above;

 g. To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit proposals in this regard to the Academic Council;

 h. To promote and review research within the School and to submit reports on research to the Academic Council;

 i. To frame general rules and guidelines for the evaluation of comprehensive continuous internal assessment (CCIA) including the Counselling Activities & Tutorials (CAT), assignments, quizzes, sessional work, Mid-Term and End-Semester Examinations;

 j. To recommend to the Academic Council, the award of research degrees to candidates who have been found qualified and fit to receive such degrees;

 k. To consider and act on any proposal regarding the welfare of the students of the School;

 l. To perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes and the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice-Chancellor;

 m. To delegate to the Dean, or to any other member of the Board or to a Committee such powers, general or specific, as may be decided upon by the Board from time to time.

4. **Meetings of the School Board:**

 a. The Board shall hold at least two ordinary meetings in an Academic year, one in each semester;

 b. The Dean may convene special meetings of the Board at his/her own initiative or at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board.

5. **Quorum:** The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members.

6. **Notice:**

 a. Notice for any Ordinary meeting of the Board shall be issued at least 10 days before the date fixed for the meetings.

 b. The Dean may convene emergency meeting of the Board at short notice but not without at least 3 days' notice before the meeting.

7. **Rules of Business:** Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.

IndiaCode

ORDINANCE No. 32

UNIVERSITY LIBRARY COMMITTEE

(Section 28(1)(o)of the Central Universities Act 2009)(Amended 2014)

1. There shall be a University Library Committee consisting of the following members, namely:
 a) Vice-Chancellor, who shall be the *Chairperson*;
 b) Pro-Vice-Chancellor;
 c) Registrar;
 d) Finance Officer;
 e) Deans of the Schools including DSW or their nominee;
 f) The senior most professor from each of the Schools to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation in order of seniority;
 g) Librarian or person nominated by the Vice-Chancellor, who shall be the *Member Secretary*
2. The term of office of the Members of the University Library Committee, other than the *ex-officio members*, shall be one calendar year.
3. The University Library Committee shall:
 a) exercise general supervision over the University Central Library, and all the other Libraries of the University;
 b) frame Regulations for the management and use of the Libraries subject to the approval of the Academic Council;
 c) allocate funds to various Departments, assess the requirements of the University Central Library and other Libraries and frame budget to be submitted to the Authorities concerned;
 d) submit the details of the working of all the Libraries of the University annually to the Academic Council;
 e) recommend to the Executive Council the creation of any new post in the Libraries;
 f) formulate and administer proposals concerning the development of libraries of the University.
4. The Committee shall meet at least twice a year.
5. *One-third* of the total number of members shall constitute the quorum for a meeting of the Committee.
6. The Convener shall issue to each member a Notice conveying the date, time and venue of the meeting and a copy of the Agenda at least seven days before the meeting. In case of the emergency meeting, the notice and agenda has to be sent at least 24 hours before the meeting.
7. The Committee shall:
 a) Carry out the acquisition of books, journals and other related materials;
 b) formulation of guidelines for such acquisition and for periodic stock verification;
 c) allocation of tasks to staff, library discipline, user services, inter-library cooperation and networking;
 d) formulate proposals concerning estimates of income and expenditure;
 e) prepare the annual report of the Library of the University

Prof. ASUTOSH PRADHAN, OSD Administration

[ADVT.-III/4/Exty./131/17**]**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.04 22:58:57 +05'30'